रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 23, 2017/चैत्र 2, 1939
No. 222] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 23, 2017/ CHAITRA 2, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

महालेखा नियंत्रक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च 2017

सा.का.नि. 280(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सिविल लेखा सेवा (आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी 'क', आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी 'ख' और कंप्यूटर आपरेटर समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी 'क', आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी 'ख' और कंप्यूटर आपरेटर समूह 'ग' पद) भर्ती, (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी 'क', आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी 'ख' और कंप्यूटर आपरेटर समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 में-

(क) नियम 1 के उपनियम (1) में, '2010' अकों के स्थान पर '2012' अंक रखे जाएंगे;

(ख) नियम 3 में, "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान" शब्दों के लिए दोनों स्थानों पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) अनुसूची में-

(क) आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी 'क' के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने-

(अ) स्तंभ 2 में, "2010" अंकों के स्थान पर "2012" अंक रखा जाएगा;

(आ) स्तंभ 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-4 (25500-81100रु.)”

(इ) स्तंभ (6) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा और स्तंभ 7 से 14 को स्तंभ 6 से 13 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा;

(II) आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी 'ख' के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने-

(अ) स्तंभ 2 में, अंक “2010” के स्थान पर “2012” अंक रखा जाएगा;

(आ) स्तंभ 4 के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“स्तर-5 (29200-92300रु.)”;

(इ) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित स्तंभ 11 में, “प्रतिनियुक्ति” शीर्ष के अधीन प्रविष्टियों में-

(i) मद (ii) में, “वेतन बैंड 1 5200-20200 + ग्रेड वेतन 2400 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स (25500-81100रु.) में स्तर-4” शब्द और अंक रखे जाएंगे,

(ii) मद (iii) में, “वेतन बैंड 1 5200-20200 + ग्रेड वेतन 1900 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स (19900-63200रु.) में स्तर-2” शब्द और अंक रखे जाएंगे,

(3) 'कंप्यूटर आपरेटर' के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने-

(अ) स्तंभ 2 में, “2010” अंक के स्थान पर “2012” अंक रखा जाएगा;

(आ) स्तंभ 4 के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“स्तर 6 (35400-112400रु.)”;

(इ) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित स्तंभ 11 में, “प्रतिनियुक्ति” शीर्ष के अधीन प्रविष्टियों में,-

(i) मद (ii) में, “वेतन बैंड 1 5200-20200 + ग्रेड वेतन 2800 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स (29200-92300रु.) में स्तर-5” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) मद (iii) में, “वेतन बैंड 1 5200-20200 + ग्रेड वेतन 1900 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स (19900-63200रु) में स्तर-2” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. संख्या 12018/1/2016/एमएफ सीजीए/आर.आर.]

प्रदीप कुमार बैरवा, संयुक्त महालेखा नियंत्रक

टिप्पणः- मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि 54 (अ) तारीख 24 जनवरी, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) मे प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Controller General of Accounts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2017

G.S.R. 280(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Civil Accounts Service (Data Entry Operator Grade 'A', Data Entry Operator Grade 'B' and Computer Operator Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2010, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Civil Accounts Service (Data Entry Operator Grade 'A', Data Entry Operator Grade 'B' and Computer Operator Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Accounts Service (Data Entry Operator Grade 'A', Data Entry Operator Grade 'B' and Computer Operator Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2010,-

(a) in rule 1 sub-rule (1), for the figure "2010", the figure "2012" shall be substituted;

(b) in rule 3, for the words "pay band and grade pay/pay scale" at both the places, the words "level in the pay matrix" shall be substituted;

(c) in the Schedule,-

(i) against serial number 1 relating to the post of Data Entry Operator Grade 'A'-

(A) in column 2, for the figure "2010", the figure "2012" shall be substituted;

(B) for column 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix
4
Level-4 (Rs. 25500-81100/-)"

(C) column (6) and the entries relating thereto, shall be omitted and columns 7 to 14 shall be renumbered as columns 6 to 13 respectively.

(ii) against serial number 2 relating to the post of Data Entry Operator Grade 'B'-

(A) in column 2, for the figure "2010", the figure "2012" shall be substituted;

(B) for the entries under column 4, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-5 (Rs. 29200-92300/-)";

(C) in column 11 as so renumbered, in the entries under heading "Deputation",-

(I) in item (ii), for the words and figures "Pay Band Rs. 5200-20200 (PB1) with Grade Pay of Rs. 2400", the words and figures "Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100/-)" shall be substituted;

(II) in item (iii), for the words and figures "Pay Band Rs. 5200-20200 (PB1) with Grade Pay of Rs. 1900" , the words and figures "Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200/-)" shall be substituted.

(iii) against serial number 3 relating to the post of Computer Operator,-

(A) in column 2, for the figure "2010", the figure "2012" shall be substituted;

(B) for the entries under column 4, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-6 (Rs. 35400-112400/-)";

(C) in column 11 as so renumbered, in the entries under heading "Deputation",-

(I) in item (ii), for the words and figures "Pay Band Rs. 5200-20200 (PB1) with Grade Pay of Rs. 2800", the words and figures "Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300/-)" shall be substituted;

(II) in item (iii), for the words and figures "Pay Band Rs. 5200-20200 (PB1) with Grade Pay of Rs. 1900" , the words and figures "Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200/-)" shall be substituted.

[F. No. A-12018/1/2016/MF.CGA/RR]

PRADEEP KUMAR BERWAH, Jt. Controller General of Accounts

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-Section (i) vide notification number G.S.R. 54 (E), dated the 24th January, 2012.

Uploaded by the Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.03.23 16:03:48 +05'30'